THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) The percentage of capacity utilisation of Hindustan Shipyard during 1991-92 was 38%.

(b) The overall loss incurred during 1991-92 was Rs. 103·74 crores (provisional).

(c) The main reasons for losses are :—

(1) Cost-Price gap.

(2) Low productivity.

(3) Time over-runs in completion of ships.

(4) Huge interest burden on borrowings from banks etc. to finance working capital requirements.

(d) A proposal for revival of the Shipyard keeping in view the latest changes in the import-export policy of the Government, is under consideration. Another proposal for capital re-structuring of the Shipyard involving conversion of project development loans into equity, waiver of interest etc. is under consideration. Government has recently permitted Hindustan Shipyard Limited to sell three vessels in the open market which had been ordered by Shipping Corporation of India. Voluntary Retirement Scheme has been implemented and so far 851 emlpoyees have opted for retirement.

राष्ट्रीय राजमार्ग 20 और 21 को जोड़ना

2242. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार/जन प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 और 21 को लिंक रोड द्वारा यानी बजौरा कन्डी, जिला कुल्लू मंडी (हिमाचल प्रदेश) से जोड़ने के संबंध में कोई प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां । जनवरी, 1991 में हिमाचल प्रदेश सरकार से केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 20 को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 21 से जोड़ने के लिए 765.00 लाख रुपए की लागत से कंडी निऔल से होकर गुजरने वाली एक वैकल्पिक सड़क नामतः मंडी-बजौरा के निर्माण के संबंध म एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(ग) चूंकि , केंद्रीय सरकार सड़क निधि में संसद द्वारा दिनांक 13-5-1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुरूप वस्तुतः अभी तक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा निधियों का कम उपयोग किया जान

2243. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** :
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मई, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "डी.टी.सी. फैल्स टू यूटिलाइज बजट एलोकेशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पचवर्षीय योजनावधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के लिए कुल कितना आवंटन किया गया था ;